न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 52/2017

सुल्तान पुत्र अलादिता जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। ——रेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 76 राज. भू–राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ दिनांक 12.05.2017

उपस्थितिः–

श्री जगमोहन आहूजा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 30.04.2018**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार सूरतगढ ने अपीलांट को चक 15 एस.एच.पी.डी. के मु.नं. 105/362 की 2.277है0 भूमि पर राजस्थान उपनिवेशन अधि. की धारा 22 के तहत अतिक्रमी मानते हुए दिनांक 27.6.2016 को बेदखल करने एवं तावान राशि कायम करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ के समक्ष पेश की जो दिनांक 12.05.2017 को खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त में पिछले 18–20 वर्षों से चली आ रही है। अपीलांट नियम 21 के तहत आवंटन की पात्रता रखता है। अपीलांट अतिक्रमी

30/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

नहीं माना जा सकता। क्योंकि उक्त भूमि के आवंटन की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांट तबादला में भूमि पाने के अधिकारी हैं जब तक अपीलांट के नियमन प्रकरण का निर्णय नहीं हो जाता तब तक उसे अतिकमी मानकर बेदखल नहीं किया जा सकता। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट विवादित भूमि पर बतौर अतिकमी काबिज है। यदि नियमन का प्रा.पत्र विचाराधीन है तो उसी न्यायालय में वह कार्यवाही कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। धारा 22 के प्रकरण में अपीलांट को अतिकमी मानते हुए जो आदेश दिया है वह उचित है। एवं उसके विरूद्ध अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ द्वारा अपील खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। यह द्वितीय अपील अधी. न्यायालय सूरतगढ के निर्णय दिनांक 12.05.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी. न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ का निर्णय दिनांक 27.10.2016 को यथावत रखा जबकि अपीलांट का नियमन का प्रकरण लम्बित है जो निर्णय का मोहताज है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय के निर्णय का कियात्मक अंश है कि विवादित भूमि बाबत न्यायालय आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ में प्रकरण जैरकार है। अपीलांट का 34–35 वर्षों से कब्जा है। अपीलांट उक्त रकबा आवंटन का पूरा पात्र है। उक्त रकबा नियमन/आवंटन करवाने के पश्चात किश्तें/नियमन राशि डी.एल.सी. रेटों पर जमा करवाने को तैयार है। बहस के दौरान राज पैरोकार ने निवेदन किया कि तहसीलदार सूरतगढ ने जो फैसला किया है वो सही है। अतः अपील खारिज योग्य है।

30/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रकरण हाजा में 3 विचारणीय बिन्दु है:-

(1) आया अपीलांट का प्रकरण नियमन हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष लम्बित है।

(2) अपीलांट का आवंटन निरस्त किये बगैर अपीलांट की आवंटित भूमि किसी अन्य को आवंटित होने, अपीलांट विवादित आराजी तबादला में प्राप्त करने का पात्र है।

(3) क्या अपीलांट का विवादित भूमि पर लम्बे समय से कब्जा होने से राजस्थान उपनिवेशन अधिनिय के (Allotment and sale of government land in Indira Gandhi Canal colony area) Rules 1975 संशोधित नियम 21A invoke योग्य है जिसकी Bare reading है कि 21-A. Regularization of certain cases of trespassers.--(1) Notwithstanding anything contained in these rules and subject to the specific or general directions of the Govt. Allotting authority may, on the advice of the Advisory Committee instead of ejecting a trespasser from the land occupied by him allow him to retain possession of the whole, or part of such land subject to the extent of the ceiling area applicable to the allottee under the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Rajasthan Act II of 1973) :

[Provided that such trespasser has been in possession over the trespassed land for minimum five years during preceding seven years from 1.1.2000 and still in continuous possession from 1.1.2000.

जैसाकि अधी. न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि सरकारी भूमि पर अतिकमण किया है। अतः बेदखली के आदेश दिये हैं। अतिकमण निम्नानुसार प्रमाणित है:-

1. रिपोर्ट पटवारी हल्का सरदारगढ दिनांक 10.09.2016
2. फोटो स्टेट राशि जमा कराने के चालान सं. 807/6.12.2016
3. फोटो स्टेट तावान राशि जमा कराने की रसीद सं. 00042
4. फोटो स्टेट गिरदावरी प्रमाणपत्र दिनांक 28.04.17
5. फोटो स्टेट तहसीलदार सूरतगढ का नोटिस दिनांक 10.10.2016

30/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

6. फोटो स्टेट खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2073 रबी
7. फोटो स्टेट रिपोर्ट पटवारी सरदारगढ दिनांक 05.09.2016
8. आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त सूरतगढ का आवंटन आदेश पत्रावली सं. 33/79, 180/74। उक्त अभिलेख से विवादित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त साबित है।

तदानुसार प्रकरण धारा 21ए की परिधि में आना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ का आदेश दिनांक 12.05.2017 एवं तहसीलदार सूरतगढ का आदेश दिनांक 27.10.2017 निरस्त कर आदेश दिया जाता है कि जब तक नियमन के प्रकरण का निर्णय नहीं हो जाता तब तक विवादित भूमि से अपीलांट को बेदखल नहीं किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया

30/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर